कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/साप्र/बी–2/विविध/4418/68/ दिनांकः 08.05.2020

–:: आदेश ::–

समसंख्यक आदेश दिनांकः 06.05.2020 द्वारा जारी वेतन आहरण एवं कोविड–19 से संबंधित नवीन परिप्रेक्ष्य में ड्यूटी बाबत विभिन्न स्तरों से वांछित मार्गदर्शन के संबंध में निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों के संबंध में माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं विभिन्न शिक्षक संगठनों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्राप्त फीडबैक के क्रम में एतद् द्वारा **अनुवर्ती निर्देश/स्पष्टीकरण** जारी किये जाते हैं:–

1. वर्तमान में आवागमन हेतु निषिद्ध क्षेत्रों एवं रेड जोन में निवासरत कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति के संबंध में उक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों से आवागमन हेतु अनुमति/शिथिलता प्राप्त होने तक के लिए शिथिलन प्रदान किया जाता है।
2. संबंधित अधिकारी दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित कार्मिक, विधवा/परित्यक्ता/एकल महिला, दो वर्ष से कम आयु की सन्तान वाली महिला कार्मिक, दो वर्ष से कम सेवानिवृत्ति अवधि वाले कार्मिकों को ड्यूटी से शिथिलन प्रदान किया जाता है।
3. वर्तमान में रमजान माह के दौरान रोजेदार कार्मिकों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अन्य कार्मिकों का विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में ड्यूटी से यथा संभव मुक्त रखा जावे।
4. उपर्युक्त शिथिलन प्राप्त श्रेणियों के अलावा लॉक डाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे कार्मिकों को प्राथमिकता से ड्यूटी पर लगाया जावे।
5. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला प्रशासन से समन्वय करते हुए कोविड–19 से सम्बन्धित ड्यूटी हेतु पर्याप्त कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। शेष कार्मिकों को आवश्यकता होने पर दूरभाष निर्देश पर मुख्यालय पर उपस्थित होने के लिए पाबन्द करेंगे।

(सौरभ स्वामी)
आइ.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक एवं
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/साप्र/बी–2/विविध/4418/68/363 दिनांकः 08.05.2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. समस्त जिला कलक्टर।
6. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
11. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
12. समस्त पीईईओ/संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि/राबाउमावि/राबामावि।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर